

धारा 19 : सदोष संगृहीत और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त कर

- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा कोई अंतरराज्यिक पूर्ति होना समझी गई पूर्ति पर एकीकृत कर संदत्त कर दिया है, किन्तु जिसे तत्पश्चात् राज्य के भीतर ही पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, तो उसे ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, इस प्रकार संदत्त एकीकृत कर की रकम का प्रतिदाय मंजूर किया जाएगा।
 - (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा कोई राज्य के भीतर पूर्ति होने समझे गए किसी संव्यवहार पर, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर संदत्त कर दिया है किन्तु तत्पश्चात् उसे अंतरराज्यिक पूर्ति अभिनिर्धारित कर दिया गया है तो उससे संदेय एकीकृत रकम पर किसी ब्याज के संदाय की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
-